"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 जनवरी 2015— पौष 29, शक 1936

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जनवरी, 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ–8–126/35/2015/47.— छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) की धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कृषिक पशु परिरक्षण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क. 28 सन् 2006);

(ख) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग एवं जिला स्तर पर, संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिसे राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ;

(ग) **"संस्था"** से अभिप्रेत है, ऐसी पूर्त संस्था; जिसे उपयोगी या अनुपयोगी या अवैध परिवहन के दौरान कृषिक पशुओं को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण पोषण के प्रयोजन के लिये अथवा अशक्त, बूढ़े और रोगी पशुओं को ग्रहण करने, उनके संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिये अथवा कृषिक पशुओं को अभिग्रहित करने के लिये स्थापित की गई हो तथा इसमें सम्मिलित है

गौ–सदन, गौ–शाला, पिंजरापोल, गौ–रक्षण संस्थान और उनके परिसंघ या संघ, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो ;

(घ) **"स्थानीय अधिकारी"** से अभिप्रेत है संयुक्त संचालक/उप संचालक, छत्तीसगढ़ शासन, पशु चिकित्सा सेवा/पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (जो पशु चिकित्सा परिषद् से पंजीकृत हों), जो संभाग/जिला/विकासखंड स्तर में कार्यरत हो, पुलिस उप निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/पंचायत अधिकारी एवं कृषिक पशु कल्याण अधिकारी;

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं ।

3. अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन अंतर्राज्यीय परिवहन अनुज्ञापत्र का जारी किया जाना.–

(1) कोई व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, जो कृषि, डेयरी, नस्ल सुधार के प्रयोजन के लिये या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिये और इसी तरह के अन्य प्रयोजनों के लिये, जो वध के प्रयोजन से भिन्न हों और जो एक राज्य से अन्य राज्य को छत्तीसगढ़ होते हुए या छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य को या अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ को किसी भी माध्यम से परिवहन करना चाहता हो, रु0 5000/– का शुल्क जमा करने के पश्चात्, अनुज्ञापत्र हेतु प्ररूप–1 (भाग–एक) में संबंधित जिले के कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा। पंजीयन शुल्क, संबंधित जिले के कलेक्टर के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से मांग देय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में जमा करेगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।

(2) जारी किये गये समस्त अनुज्ञा पत्रों की समीक्षा, प्रत्येक माह जिला कलेक्टर द्वारा अनिवार्यतः की जायेगी। जारी किया गया अनुज्ञापत्र, एक समय में एक ही स्थान के लिए होगा। अनुज्ञापत्र में पशु की संख्या, प्रकार, वैधता अवधि एवं माध्यम सहित परिवहन मार्ग का स्पष्ट वर्णन होगा।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिले के भीतर या अंतर–जिला या अंतर–राज्य के लिये परिवहन अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, परिवहन किये जाने वाले कृषिक पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, जो क्रय/विक्रय स्थान के निकटतम शासकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा जारी किया गया हो, प्ररूप–1 (भाग–दो) में अनिवार्यतः संलग्न करना होगा । अनुज्ञापत्र के पीछे, छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) और अन्य संबंधित अधिनियमों और नियमों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख (पृष्ठांकन) किया जाएगा और उनका अनुपालन करना, अनुज्ञापत्र धारक के लिए अनिवार्य होगा।

(4) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्ररूप–1 (भाग–एक) में आवेदन में दिए गए विवरण के सत्यापन के लिए ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, कर सकेगा। ऐसी जांच करने के पश्चात्, यदि कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि आवेदन में दिए गए विवरण तथा संलग्न दस्तावेज सही हैं, तो वह आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्ररूप–2 में परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करेगा अथवा वह, आवेदन को इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवेदन को, आदेश द्वारा, निरस्त कर सकेगा और शासकीय रजिस्टर में निरस्त करने की जानकारी भी अभिलिखित करेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो उप–नियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्र की वांछा करता है और जो संबंधित जिले के कलेक्टर के आदेश से व्यथित है, तो वह, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर या अन्य द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकेगा और परीक्षण कर सकेगा तथा ऐसा आदेश, जो वह युक्तियुक्त और न्यायसंगत समझे, पारित कर सकेगा। संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश, अंतिम होगा और उसकी अपील, किसी न्यायालय में नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – (क) पैदल मार्ग से परिवहन करते समय कृषिक पशुओं का प्रत्येक झुण्ड, 25 से अधिक का नहीं होगा। यदि ऐसे कृषिक पशु के लिए विनिर्दिष्ट दूरी, समय, विश्राम अंतराल और तापमान नीचे दी गई सारणी में विहित सीमाओं से अधिक है तो किसी भी कृशिक पशु का परिवहन नहीं किया जायेगा,–

सारणी

स. क.	कृषिक पशु का विवरण	तय की गई अधिकतम दूरी/दिन/घंटा	यात्रा के दिनों/घंटों की अधिकतम अवधि	विश्राम की अवधि (अंतराल)	तापमान की सीमा अधिकतम/ न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बैल, सांड़, गाय	30 कि.मी. प्रति दिन/ 4 कि.मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक दो घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक चार घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
2.	भैंसें	25 कि.मी. प्रति दिन/ 3 कि.मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक दो घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक चार घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
3.	गाय या भैंस के बछड़े	16 कि.मी. प्रति दिन/ 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक 1.5 (डेढ) घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक तीन घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक

(ख) यदि परिवाहक, कृषक या गौ–पालक है तो उसे, कृषिक पशु के क्रय/विक्रय के प्रयोजन के लिए अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड या मनरेगा के जॉब कार्ड की छायाप्रति, प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। संबंधित कृषक या गौपालक, एक समय में पांच से अधिक कृषिक पशु का परिवहन नहीं करेंगे।

(ग) किन्हीं भी परिस्थितियों में पशुओं के परिवहन के दौरान पोषण आहार/चारा, पेय जल और समुचित विश्राम सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। जुलाई से फरवरी तक सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् तथा मार्च से जून तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक पशुओं का पैदल परिवहन निषिद्ध रहेगा। पानी पिलाने के बाद, पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले प्रत्येक कृषिक पशु को 20 मिनट का विश्राम दिया जायेगा तथा चारा खिलाने के मामले में पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले एक घंटे का विश्राम दिया जायेगा।

(घ) किसी भी कृषिक पशु का भारी बरसात, तूफान, भीषण सूखा या उमस की स्थिति में पैदल परिवहन नहीं किया जायेगा।

(ड.) रेल्वे या किसी अन्य वाहन से परिवहन किये जाने के दौरान, भगदड़ आदि से सुरक्षा के रुप में प्रति पशु हेतु न्यूनतम दो वर्गमीटर स्थान सुनिश्चित करना होगा। गर्भवती गाय तथा भैंसों का, अन्य पशुओं के साथ परिवहन नहीं किया जायेगा।

(च) कृषिक पशुओं के परिवहन के दौरान वाहन में हवा की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। चारों ओर से बन्द वाहन में कृषिक पशुओं का परिवहन, दण्डनीय अपराध होगा।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य के किसी ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र या पशु बाजार/मेला में कृषिक पशु की बिक्री/खरीदी के पूर्व क्रेता या विक्रेता से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से जारी कृषिक पशु का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।

(6) स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पुलिस उप निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक, नायब तहसीलदार/तहसीलदार एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पंचायत अधिकारी का संयुक्त दल, पशु बाजार/मेले का नियमित रूप से निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि स्वस्थ पशु/कृषि के लिये उपयुक्त पशुओं का क्रय/विक्रय कृषि प्रयोजन के लिये हो रहा हो, वध के प्रयोजन के लिए नहीं तथा

निरीक्षण प्रतिवेदन, प्ररूप–1 (भाग–तीन) में कलेक्टर को संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिला प्रभारी पशु चिकित्सा सेवायें के माध्यम से, प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) कृषिक पशुओं के परिवहन के समय, संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (क्र. 27 सन् 2009) के उपबंधों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

4. **अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (ञ) के अधीन पशु व्यापारी का पंजीयन** –(1) कोई व्यक्ति, जो एक बार में पांच से अधिक पशुओं का व्यापार (खरीदी/बिक्री) करता हो, उसे उसके अधिवास जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय में पशु व्यापारी के रुप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के लिए आवेदन, पंजीयन शुल्क रू. 3000 के साथ प्ररूप–3 (भाग–एक) में प्रस्तुत किया जायेगा। कृषिक पशुओं का अंतर्राज्यीय व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में पशु व्यापारी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन करे । अंतर्राज्यीय पशु व्यापारी का पंजीयन प्रमाणपत्र प्ररूप–3 (भाग–दो) में 3 वर्ष के लिए जारी किया जायेगा। शुल्क रू. 1000 प्रति वर्ष की दर से भुगतान करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कालावधि के लिये पंजीयन का नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) पंजीयन शुल्क का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से संबंधित जिले के कलेक्टर के पक्ष में रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा, जो वापसी योग्य नही होगा।

(3) संबंधित जिले का कलेक्टर, प्ररूप–3 (भाग–एक) में आवेदन में दिए गए विवरणों के सत्यापन के लिए ऐसी जांच, जैसा कि वह अपने समाधान के लिए आवश्यक समझे, कर सकेगा। जांच करने के पश्चात्, यदि संबंधित जिले के कलेक्टर का आवेदन में दिए गए विवरण तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज की भाुद्धता के संबंध में, समाधान हो जाता है तो वह, आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर, पंजीयन प्रमाणपत्र प्ररूप–3 (भाग–दो) में एवं पहचान पत्र प्ररूप–3 (भाग–तीन) में जारी करेगा अथवा वह आवेदन को इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, निरस्त कर सकेगा और शासकीय रजिस्टर में इस प्रकार की जानकारी, अभिलिखित करेगा।

(4) पशु व्यापारी के लिये पशु बाजार/मेले में व्यापार के दौरान, अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।

5. **कृषिक पशु कल्याण अधिकारी की नियुक्ति.**–(1) पशु विकास विभाग के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे। कोई शासकीय या अशासकीय व्यक्ति भी, जो कृषिक पशुओं के कल्याण, संरक्षण एवं सवर्धन का कार्य कर रहे हों, वे प्ररूप–4 (भाग–एक) में कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रुप में नियुक्ति के लिये आवेदन कर सकेंगे। आवेदक, आवेदन पत्र के साथ प्ररूप–4 (भाग–दो) में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा। रजिस्ट्रार/संयुक्त संचालक/उप संचालक, जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसे आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की शुद्धता का सत्यापन कर सकेंगे। कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, आवेदक का चरित्र प्रमाणपत्र, जो कि संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया हो, अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वांछित चरित्र प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग को 20 दिनों के अंदर प्रेषित करे।

(2) यदि रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग/संयुक्त संचालक/उप संचालक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेज सही है और यदि पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र उपयुक्त है, तो रजिस्ट्रार, आवेदक को प्ररुप–5 में कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा पहचान पत्र भी जारी करेगा एवं समस्त विवरणों को रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(3) कृषिक पशु कल्याण अधिकारी को दो वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा। कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग/संयुक्त संचालक/उप संचालक को प्ररूप– 6 में प्रत्येक छः माह में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) के अधीन किये गये कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। यदि वह लगातार दो छःमाही में, विहित प्ररूप में, उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं करता है, तो कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग/संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।

(4) ऐसे व्यक्ति, जो कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में, कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) के अनुसार कार्य कर रहे हों, के द्वारा निर्धारित प्ररूप–6 में प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा और अशासकीय व्यक्ति के चरित्र प्रमाणपत्र का पुलिस अधीक्षक से पुनर्सत्यापन के पश्चात् यदि संतोषजनक पाया जाता है तो दो वर्ष के लिये रजिस्ट्रार/संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्ति का नवीनीकरण किया जायेगा।

6. **अधिनियम की धारा 13 के अधीन निरीक्षण एवं अभिरक्षा में रखने की शक्ति.**– (1) कृषिक पशु कल्याण अधिकारी को, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किया जा सकता है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा और आवश्यक कार्यवाही करने की भी शक्ति होगी।

(2) प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) के पद श्रेणी से अनिम्न का कोई पुलिस अधिकारी या कोई सक्षम प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) की धारा 4, 5 एवं 6 के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अथवा स्वयं का यह समाधान करने के लिये कि उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है, निम्नलिखित कार्यवाही करेगा, अर्थात् :–

(क) वह, कृषिक पशु या उसके मांस के निर्यात के लिए उपयोग में लाए गए अथवा उपयोग में लाए जाने हेतु अपेक्षित किसी यान को रोकने के लिये सक्षम होगा तथा उसमें प्रवेश करने और उसकी अन्वेषण करने के लिये भी सक्षम होगा;

(ख) ऐसे कृषिक पशु, जिसके संबंध में उसे यह संदेह हो कि धारा 4, 5 एवं 6 के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाने वाला है, उस यान सहित, जिसमें ऐसा कृषिक पशु या उसका मांस पाया जाता है, अभिग्रहण कर सकेगा या उसके अभिग्रहण को प्राधिकृत करने के लिये सक्षम होगा और इसके पश्चात् किसी न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिये समस्त व्यवस्थायें करने हेतु सक्षम होगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार अभिग्रहीत किए गए कृषिक पशु और यान को, विचारण के लंबित रहने तक, सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।

7. **जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण.** – धारा 4, 5 एवं 6 के किसी उल्लंघन की दशा में पुलिस किसी यान, कृषिक पशु या उसके मांस को अधिहृत करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, कृषिक पशु या उसके मांस को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित रीति में अधिहृत करेगा, अर्थात् :–

(क) वह यान को कब्जे में लेगा ;

(ख) वह कृषिक पशु या उसके मांस को, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग से पंजीकृत किसी संस्था अथवा व्यक्ति की अभिरक्षा में भेजेगा; तथा

(ग) कृषिक पशु के मांस का, पशुधन विकास विभाग द्वारा ऐसी रीति में, जैसा कि वह उचित समझे, निराकरण करेगा।

8. **जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.**– जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतिम आदेश से या आदेश के परिणाम से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के पारित होने के तीस दिनों के भीतर, ऐसे सत्र न्यायालय, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर जिला मजिस्ट्रेट का मुख्यालय स्थित हो, के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम में निर्दिश्ट तीस दिनों की कालावधि की संगणना करते समय, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

9. **कृषिक पशुओं का संरक्षण एवं रख रखाव.**– (1) अभिगृहीत, उपयोगी, अनुपयोगी, अशक्त, वृद्ध या रोगी कृषिक पशु को किसी ऐसे संस्थान, जिसे उनके संरक्षण, प्रबंधन, प्रजनन, उपचार तथा पोषाहार के प्रयोजन के लिए

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित की गई हो, में रखा जाएगा। ऐसी संस्था, अभिगृहीत किये गये कृषिक पशुओं का विस्तृत मासिक रिपोर्ट, प्ररूप–7 में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(2) भरण पोषण व्यय, छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग नियम, 2005 के अनुसार देय होगा।

10. **संस्था को सहायता तथा अनुदान.**– (1) ऐसी संस्था, जिसमें सौ से अधिक अभिगृहीत, उपयोगी, अनुपयोगी, अशक्त, वृद्ध या रोगी कृषिक पशु हो, को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता/अनुदान प्राप्त होंगे।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन् 1973) की धारा 44 के खण्ड (दस–ङ) के अनुसार अनुदान दिया जायेगा।

11. **परिबद्ध कृषिक पशु का सौंपा जाना.**– घूमने वाले ऐसे कृषिक पशु, जो कांजी हाऊस के कर्मचारियों द्वारा पकड़े गये हों और निर्मुक्त अथवा नीलाम नहीं किये गये हों, को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संस्था को सौंपे जायेंगे।

12. **प्रभारों का उदग्रहण.**– कृषिक पशु के रखरखाव तथा पोषाहार के लिये उपगत व्यय को, संस्था द्वारा ऐसे कृषिक पशु के स्वामियों से गौ–सेवा आयोग नियम, 2005 के अनुसार वसूल किया जायेगा।

13. **आर्थिक पुनर्वास योजना.**– (1) नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के स्थानीय प्राधिकारी, प्ररुप–8 में उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेंगे, जो अधिनियम के उपबंधो से अशंतः या पूर्णतः प्रभावित हुये हों और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए उसे उनके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा। आपत्तियां, यदि कोई, प्राप्त हुई हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निराकृत की जायेगी। तत्पश्चात्, प्रभावित व्यक्तियों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जायेगा।

(2) स्थानीय निकाय का स्थानीय अधिकारी, अंतिम सूची को जिले के कलेक्टर को भेजेगा।

(3) स्थानीय निकाय से अंतिम सूची प्राप्त होने के पश्चात्, जिले का कलेक्टर उसकी संवीक्षा करवाएगा तथा प्ररूप–9 में प्रमाणीकरण करने के पश्चात्, वह प्रभावित व्यक्तियों की मांग के आधार पर संबंधित निगम, मण्डल और/या राज्य शासन के विभाग की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लिए अनुशंसा करेगा और ऐसी सूची की एक प्रति, स्थानीय अधिकारी को समन्वय के लिए पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) ऐसे विभाग, निगम और/या मण्डल आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, प्रभावित व्यक्तियों को, या तो सीधे या बैंक के माध्यम से, निधि उपलब्ध कराएंगे।

(5) प्रभावित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास की मासिक निगरानी (मॉनिटरिंग) कलेक्टर द्वारा की जाएगी, जिसके लिए स्थानीय अधिकारी समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

(6) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, प्रभावित व्यक्ति इस आर्थिक पुनर्वास योजना का लाभ केवल एक ही बार प्राप्त करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. पाण्डेय, सचिव.

प्ररूप–एक

(भाग–एक)

[नियम 3(1) देखिए]

अंतर्राज्यीय कृषिक पशु के परिवहन अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन

प्रति,

कलेक्टर
जिला ——————

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

मैं, *कृषिक पशुओं का पैदल/वाहन क. .....के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के ..... मार्ग से होते हुए (स्थान का नाम)..... तह. ..... वि.ख. ..... जिला ..... राज्य ..... से (स्थान का नाम) ..... तह. ..... वि.ख. ..... जिला के ..... राज्य ..... तक परिवहन करना चाहता हूं।

कृपया मुझे छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 के नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन परिवहन अनुज्ञापत्र प्रदान करें। मेरी विशिष्टयां नीचे दी गई अनुसार है :–

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. आयु .....
4. लिंग .....
5. जाति .....
6. व्यवसाय .....
7. वर्तमान पता .....
   दूरभाष क्रमांक .....
8. स्थायी पता .....
9. कृषिक पशुओं की संख्या .....

स.क्र.	कृषिक पशु का प्रकार	पहचान चिन्ह	आयु	नस्ल	लिंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

संलग्न : (1) रूपए 5,000/– का राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट

(2) दो पासपोर्ट साइज का फोटो

(3) मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/मनरेगा का जॉब कार्ड की छायाप्रति।

स्थान :
दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

* कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

प्ररूप–एक
(भाग–दो)
पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
[नियम 3(3) देखिए]

क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता हैं कि नीचे वर्णित *कृषिक पशु, जो श्री ..... पिता/पति..... निवासी .....ग्राम ..... तह. ..... जिला ..... के स्वामित्व के हैं, का मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उक्त कृषिक पशु वृद्ध या कमजोर या अशक्त नहीं है तथा किसी संसर्गजन्य/संक्रामक बीमारी से ग्रसित है/ग्रसित नहीं है और परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त है/उपयुक्त नहीं है।

विवरण :–

स. क्र.	कृषिक पशु के प्रकार	नस्ल	पहचान चिन्ह	लिंग	आयु	स्वस्थ है/ बीमार है	संक्रमण के ब्यौरे (यदि है तो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टीप– पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, शासकीय पशु चिकित्सा शल्यज्ञ अथवा राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के अधीन पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया जायेगा।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
शासकीय पशु चिकित्सालय
जिला .....

* कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

प्ररूप–1

(भाग–तीन)

पशु बाजार का निरीक्षण प्रतिवेदन

[नियम 3(6) देखिए]

1. पशु बाजार का स्थान .....

ग्राम/नगर पंचायत/विकासखंड/जिला

2. पशु बाजार का दिवस .....

3. पशु व्यापारियों की संख्या .....

(अ) पंजीकृत .....

(ब) अपंजीकृत .....

4. बाजार में क्रय/विक्रय हेतु

कृषिक पशुओं की अनुमानित संख्या .....

5. बाजार में क्रय/विक्रय हेतु वृद्ध, कमजोर

एवं अशक्त कृषिक पशुओं की अनुमानित संख्या .....

6. क्या छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004

एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों

का पालन किया जा रहा है हां/नहीं

7. पशु बाजार के ठेकेदार/प्राधिकृत व्यक्ति

का नाम, पता/दूरभाष नं .....

दिनांक

हस्ताक्षर

संयुक्त जांच दल

सदस्यों के नाम

मोबाईल नं.....

प्ररूप–2

[नियम 3(4) देखिए]

अंतर्राज्यीय परिवहन अनुज्ञापत्र

पंजीकरण क्रमांक ..... दिनांक .....

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. आयु .....
4. लिंग .....
5. जाति .....
6. व्यवसाय .....
7. वर्तमान पता .....
   दूरभाष क्रमांक .....
8. स्थायी पता .....
   दूरभाष क्रमांक .....
9. परिवहन का प्रकार (पैदल या वाहन) .....
   वाहन क्रमांक .....
   चालक का नाम .....
10. छत्तीसगढ़ में परिवहन मार्ग .....
11. *कृषिक पशु की संख्या .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के विवरण सत्यापित किये गये हैं तथा अनुज्ञप्ति को छत्तीसगढ़ राज्य से होकर ..... राज्य से .....राज्य तक कृषिक पशु परिवहन के लिए जारी किया गया है।

यह परिवहन अनुज्ञापत्र दिनांक ..... तक विधिमान्य रहेगा।

स्थान :

कलेक्टर
जिला

* कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला राज्य है जहां कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 को, समस्त गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु जैसे सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड़, बैल, भैंसों के वध पर, पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाने हेतु, लागू किया गया है।

- अधिनियम की धारा 4 कृषिक पशुओं के वध का प्रतिषेध करती है।
- अधिनियम की धारा 5 कृषिक पशुओं के मांस रखने पर प्रतिषेध करती है।
- अधिनियम की धारा 6 वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध करती है साथ ही कृषिक पशु के परिवहन में प्रयुक्त वाहन को छः माह के लिये जप्त किये जाने का और परिवहन किये जा रहे पशुओं को जप्त करने का भी प्रावधान करती है।
- अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 के किसी उपबंधों का उल्लंघन करने पर, सात वर्ष का कारावास या रू. 50,000/– के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- अधिनियम की धारा 11 के अधीन, अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।
- अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

इस अधिनियम का अध्याय 3 पशुओं के प्रति क्रूरता का प्रतिषेध करता है। अधिनियम की धारा 11 में ऐसे व्यक्ति, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के किन्ही प्रावधानों का उल्लघंन करता है या ऐसे अपराध, जैसे–

- पशुओं का वध, दौड़ा कर थका देना, शारीरिक यंत्रणा देने
- रोगी पशु से काम लेने
- हानिकारक औषधियों को खिलाने
- संसर्गजन्य रोग से ग्रस्त एवं अशक्त पशु को सड़क पर छोड़ने आदि हेतु दुष्प्रेरित करता है, के लिये दण्ड का प्रावधान है।

प्ररूप–3
(भाग–एक)
(नियम 4 देखिये)

अंतर्राज्यीय कृषिक पशु व्यापारी के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर
जिला .....

विषय : अंतरराज्यीय *कृषिक पशु व्यापारी के रुप में पंजीयन के लिए आवेदन।

मान्यवर,

मैं छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन अंतरराज्यीय पशु व्यापारी के रूप में पंजीयन कराना चाहता हूं।

मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

1.	नाम	:	.....
2.	पिता का नाम	:	.....
3.	जाति	:	.....
4.	व्यवसाय	:	.....
5.	वर्तमान पता	:	.....
6.	स्थायी पता	:	.....
7.	दूरभाष क्र./मोबा. नं.	:	.....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है अतएव अंतर्राज्यीय कृषिक पशु व्यापारी के रूप में मेरा पंजीयन करने हेतु आपसे अनुरोध है।

संलग्न :– (1) दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ।

(2) पंजीयक शुल्क के रुप में बैंक ड्राफ्ट।

(3) मतदाता परिचय पत्र/आधार काड/मनरेगा का जॉब कार्ड की छायाप्रति।

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

* कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

प्ररूप–3
(भाग–दो)
(नियम 4 देखिये)

अंतर्राज्यीय कृषिक पशु व्यापारी हेतु पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीयन क्र..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि *कृषिक पशुओं की अंतरराज्यीय खरीदी/बिक्री करने के लिए श्री/श्रीमति.....पिता/पति..... निवासी ग्राम/नगर.....तह./वि.खं. ..... जिला ..... छत्तीसगढ़, जाति..... व्यवसाय ..... को अंतर्राज्यीय कृषिक पशु व्यापारी के रूप में पंजीकृत किया जाता है, जो दिनांक ..... तक अधिमान्य रहेगी ।

कलेक्टर
जिला

*कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

प्ररूप–3

(भाग–तीन)

(नियम 4 देखिये)

अंतर्राज्यीय कृषिक पशु व्यापारी का पहचान पत्र

छायाचित्र

पशु व्यापारी के हस्तक्षार

श्री / श्रीमति.....पिता / पति.....
निवासी ग्राम / नगर.....तह. / वि.खं. ..... जिला .....
को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन अंतर्राज्यीय कृषिक पशु व्यापारी के रूप में पंजीकृत किया जाता है, जिसका पंजीयन क्र. .....वैधता दिनांक ..... तक है।

कलेक्टर
जिला

* कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

प्ररूप–4

(भाग–एक)

[नियम 5(1) देखिये]

कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

पंजीयक
छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग
रायपुर (छ.ग.)

विषय : कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

मैं, छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 और छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) के अधीन कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य करने की इच्छा रखता हूं तथा निःस्वार्थ भाव से बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करूंगा।

मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

1.	नाम	:	.....
2.	पिता का नाम	:	.....
3.	जन्मतिथि	:	.....
4.	व्यवसाय	:	.....
5.	वर्तमान पता, मोबाईल नंबर सहित	:	.....
6.	स्थायी पता, मोबाईल नंबर सहित	:	.....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और प्रमाण के रूप में मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/मनरेगा का जॉब कार्ड की छायाप्रति संलग्न हैं। यदि मुझे कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और मुझे परिचय पत्र जारी किया जाता हैं, तो मैं परिचय पत्र का दुरूपयोग नही करूंगा।

हस्ताक्षर

स्थानीय संस्थाओं द्वारा परिचय प्रमाणपत्र

सत्यापित किया जाता है कि श्री ..... पिता ..... जाति .....
उम्र ..... निवास (ग्राम/वार्ड)..... तहसील/वि.खं. .....
जिला .....के निवासी है जो कृषिक पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन में रुचि रखते हैं।

हस्ताक्षर मुद्रा सहित
अध्यक्ष/सचिव
स्थानीय गौशाला .....
पता .....

हस्ताक्षर मुद्रा सहित
पार्षद/सरपंच
पता .....
.....

*कृषिक पशु अर्थात् सभी आयु की गायें, बछड़ा–बछिया और पाड़ा–पड़िया, सांड, बैल, भैंसें।

प्ररूप–4

(भाग–दो)

[नियम 5(1) देखिये]

कृषिक पशु कल्याण अधिकारी का शपथपत्र

(रू. 50/– के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथपत्र

मैं श्री/श्रीमति..... पिता/पति..... जाति..... उम्र..... निवासी ग्राम/नगर.....तहसील/वि.ख.....जिला.....सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ तथा शपथ लेता हूँ कि यदि मुझे छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 के नियम 5 के अधीन तथा छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क. 23 सन् 2004) की धारा 12 के खण्ड (ढ) के प्रयोजन के लिये कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो मैं छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 6, 7, 13, 16 एवं 17 के प्रावधानों द्वारा आबद्ध रहूंगा और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन, पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करूंगा तथा मैं अपने पद का दुरूपयोग नहीं करूंगा।

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान

नाम.....

पिता का नाम.....

वि.खं. .....

जिला.....

दो गवाहों के नाम एवं पते

गवाहों के नाम	पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

प्ररूप–5

[नियम 5(2) देखिये]

कृषिक पशु कल्याण अधिकारी का पहचान पत्र

जारी दिनांक .....

छायाचित्र

कृषिक पशु कल्याण अधिकारी हस्ताक्षर

श्री ..... पिता ..... निवासी ग्राम/नगर .....
तह./वि.खं. .....जिला.....को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 के नियम 5 के अधीन तथा छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क. 23 सन् 2004) की धारा 12 के खण्ड (ढ) के प्रयोजन के लिये कृषिक पशु कल्याण अधिकारी कमांक..... के रूप में नियुक्त किया जाता है।

यह पहचान पत्र दिनांक ..... तक विधिमान्य है।

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ गौ–सेवा आयोग
रायपुर

प्ररूप–6

[नियम 5(3) एवं (4) देखिये]

कृषिक पशु कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन

क्र.	दिनांक	पुलिस थाने में एफ.आई. आर. करने का दिनांक	पुलिस थाने का नाम वि.खं. जिला	जप्त पशुओं की संख्या एवं प्रकार	जप्त पशुओं को अभिरक्षा में प्राप्त/लेने वाले गौ–शाला का नाम/ सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता का नाम	न्यायालय मे चालान पेश होने का दिनांक	न्यायालय में प्रकरण की स्थिति	जागरुकता हेतु कृषकों के साथ बैठक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

हस्ताक्षर

कृषिक पशु कल्याण अधिकारी

पता

ग्राम .....

विकासखंड .....

तहसील .....

जिला .....

मोबाईल नं. .....

प्ररूप–7

[नियम 9 (1) देखिये]

संस्थाओं द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन

स. क्र.	जप्त पशुओं को गौ–शालाओं की अभिरक्षा में प्राप्त करने का दिनांक	पुलिस थाने में एफ.आई.आर. करने का दिनांक	पुलिस थाने का नाम विकासखण्ड / जिला	न्यायालय में चालान पेश होने का दिनांक	जप्त पशुओं की संख्या एवं प्रकार	जप्त बीमार पशुओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

गौ–शाला / गौ–सदन .....

पता.....

.....

प्ररूप–9

[नियम 13(3) देखिए]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ..... छत्तीसगढ़

क्रमांक..... दिनांक .....

प्रति,

संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, 2014 के नियम 13 के उप–नियम (3) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों की सूची।

स. क्र.	प्रभावित व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	निगम/बोर्ड/राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना की अनुशंसा	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी अभिलेख के अनुसार सही है।

(हस्ताक्षर)

कलेक्टर
जिला .....(छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन

प्रतिलिपि अग्रेषित :–

संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा, जिला .....(छत्तीसगढ़)

(हस्ताक्षर)

कलेक्टर
जिला .....(छत्तीसगढ़)

Raipur, the 14th January 2015

NOTIFICATION

No. F-8-126/35/2015/47.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No 28 of 2006), the State Government, hereby, makes the following rules relating to Agricultural cattle preservation, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In this rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006);

(b) "**Competent Authority**" means at State Level, the Registrar, the Chhattisgarh Go-Seva Ayog and at District Level, Joint Director/Deputy Director who have been authorized by the State Government;

(c) "**Institution**" means such charitable institutions, which is engaged in Agricultural cattle welfare and which has been established for the purpose of keeping, breeding and maintaining Agricultural cattle or the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and disease cattle or for seizing Agricultural cattle during useful or un-useful or illegal transportation, and includes Gosadan, Goshala, Pinjrapole, Gorakshan Sansthan and their Federation or union, which are registered under any Act for the time being in force;

(d) **"Local Officer"** means the Joint Director/Deputy Director, Government of Chhattisgarh, Veterinary Services/Veterinary Assistant Surgeon (Registered with the Veterinary Council), who are officers working in Division/District /Development Block Level/ Sub-Inspector Police /Inspector Police/ Tehsildar/ Naib Tehsildar/ Commissioner, Municipal Corporation /Chief Municipal Officer /Panchayat Officer and Agricultural Cattle Welfare Officer.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. **Issuance of Inter-State Transportation license under clause (h) of Section 2 of the Act**.- (1) Any person, which includes transporter, who for the purpose of agriculture, dairy, improvement of breeding or for participation in Cattle fair and for similar purpose, which is different from the purpose of slaughtering, and who wants to transport from one State to another State through Chhattisgarh or from Chhattisgarh to other State or from other State to Chhattisgarh by any medium shall after deposition of fee of Rs 5000/- shall apply for license in Form-1(Part-I) to the concerned District Collector or any other officer authorized by him. The registration fee shall be paid in the favour of the concerned District Collector by way of demand draft through any nationalized bank, which shall not be refundable.

(2) All license issued shall be compulsorily reviewed every month by the District Collector. The license issued shall be for one place at a time. License shall clearly describe number of Cattle, type, validity period and way of transportation including medium.

(3) Any person applying for transportation license for within any District or Inter-District of State of Chhattisgarh or Inter-State shall have to enclose compulsorily Cattle Health Certificate in Form -1 (Part –II) of the Agricultural cattle to be transported, which has been issued by Veterinary Assistant Surgeon of Government Veterinary Hospital near to the place of sales /purchase. The provisions relating to the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No.28 of 2006) and the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 (No. 59 of 1960) and other related Acts and Rules shall be (endorsed) mentioned on the back of license and compliance of the same shall be mandatory for the License holder.

(4) Collector or any officer authorized by him for verification of the particulars of application in Form -1, (Part-I) may conduct such investigation which he consider necessary. After such investigation if the collector is satisfied that the details in the application and the enclosed documents are correct than he shall issue Transportation License in Form –2 within a period of two weeks from the date of receiving of application or he may, by order, reject the application by recording reasons for such rejection of application and shall also record information of rejection in the Government Register.

(5) Any person, who wants the license under sub-rule (2) and who is aggrieved by the order of the concerned District Collector, then he may file application for_revision within 30 days from the date of receipt of order before the Divisional Commissioner. The Divisional Commissioner may call for and examine the record for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order passed by the Collector or others and may pass such order which he consider appropriate and justified. The order passed by the Divisional Commissioner shall be final and no appeal shall lie to any Court.

Explanation : (a) Each herd of Agricultural cattle shall not contain more than 25 Cattles at the time of transportation on foot. No Agricultural cattle shall be transported if the Distance, time, rest interval and temperature for the such Agricultural cattle is more than limit prescribed in the following table,-

TABLE

S. No.	Details of the Agricultural cattle	Fixed maximum distance /day/hour	Maximum period of Travelled days/hour	Rest period (interval)	Temperature Range Minimum /Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ox, bull, cow,	30 K.M per day/4 K.M per hour	8 hours	after every two hours for drinking and after every four hours for food	12 degree centigrade to 30 degree centigrade
2.	Buffaloes	25 K.M per day /3 K.M per hour	8 hours	after every two hours for drinking and after every four hours for food	12 degree centigrade to 30 degree centigrade

3.	Calf of cows or Buffaloes	16 K.M per day /2.5 K.M per hour	6 hours	after every 1.5hours for drinking and after every three hours for food	15 degree centigrade to 25 degree centigrade

(b) If the transporter is a farmer or cow foster, then it shall be necessary for him to produce a copy of Voter ID card or Aadhaar Card or Job Card of MNREGA as his identity proof for the purpose of sale/purchase of the Agricultural cattle. A concerned farmer or cow foster shall not transport more than five Agricultural cattle at a time.

(c) It shall be necessary to ensure nutritional food /fodder, drinking water and appropriate rest during the transportation of Agricultural cattle in any circumstance. Transportation on foot of Cattle shall be prohibited before sunrise and after sunset from July to February and from 11.00 noon to 5.00 after noon from March to June. After drinking of water, 20 minutes rest shall be given before starting of transportation on foot of each Agricultural cattle and in the case of fodder one hour rest shall be given before starting transportation on foot.

(d) Any Agricultural Cattle shall not be transported on foot in case of heavy rain, storm, famine or muggy.

(e) While transporting through railway or any other vehicle, minimum space of two square meter per cattle shall be ensured as a protection from stampede, etc. Pregnant cows and buffaloes shall not be transported with other animals.

(f) There should be sufficient facility of air in vehicle during transportation of Agricultural cattle. Transporting Agricultural cattle in completely closed vehicle shall be a punishable offence.

(g) Health certificate of the Agricultural cattle issued from the Veterinary Assistant Surgeon shall be required by the seller or purchaser prior to sales/ purchase of the Agricultural cattle in any Gram Panchayat /Nagar Panchayat area or Cattle market/fair of the State of Chhattisgarh.

(6) The joint team of local Veterinary Assistant Surgeon, Police Sub-Inspector/ Inspector, Naib Tahsildar /Tahsildar and Chief Municipal Officer /Nagar Panchayat Officer shall regularly inspect the cattle market/fair in order to ensure that healthy cattle/cattle suitable for agriculture are being sold/purchase for Agricultural purpose and not for the purpose of slaughtering and shall submit the inspection report in Form -1 (Part –III) to the Collector through the Joint Director/ Deputy Director, District in-charge of veterinary services.

(7) It shall be necessary to comply with the provisions of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animal Act, 2009 (No. 27 of 2009) while transporting Agricultural cattle.

4. Registration of cattle trader under sub-section (j) of Section 2 of the Act. –

(1) Any person, who trades in more than five Cattles at a time, shall have to compulsorily register as Cattle Trader in the office of the District Collector of his domicile district. Application for registration shall be submitted in Form-3 (Part -I) along with registration fee of Rs. 3000. It shall be mandatory for the person doing Inter-State trade of Agricultural cattle to apply for registration in the office of concerned District Collector for registration as Cattle Trader. The Registration Certificate for Inter-State cattle trade shall be issued in Form-3 (Part-II) for 3 years. Renewal of registration shall be done for a maximum period of 3 years on payment of fee of Rs. 1000 per annum.

(2) The registration fee, shall be paid by crossed demand draft in the favour of concerned District Collector through nationalized bank and which shall not be refundable.

(3) The concerned District Collector, for verification of the particulars of application in Form-3 (Part-I) may conduct such investigation which on his own satisfaction he deems necessary. After inquiry, if the concerned District Collector is satisfied with the correctness of details given in the application and enclosed documents he shall issue the registration certificate in Form-3 (Part-II) and Identity Card in Form-3 (Part-III) within a period of two months from the date of submission of the application by the applicant or he may by order reject the application by recording reasons for such rejection and shall record such information in the Government register.

(4) It shall be mandatory for the Cattle Trader to carry Identity Card during trading in the Cattle market /fair.

5. **Appointment of Agricultural Cattle Welfare Officer.** - (1) Assistant Veterinary Medical Field Officer of the Veterinary Development Department shall also act as Agricultural Cattle Welfare Officer. Also any Government or Non-Government person, who is working for the welfare of Agricultural cattle, protection and development may apply for appointment as Agricultural Cattle Welfare Officer in Form-4 (Part-I). Applicant shall also submit affidavit along with the application in Form -4 (Part -II). The Registrar / Joint Director/Deputy Director, as it deems necessary, may verify the correctness of the information furnished in such application. Before the appointment of Non-Government person as Agricultural Cattle Welfare Officer, it is necessary to obtain character certificate of the applicant issued by the superintendent of police of concerned district. It shall be mandatory for the Superintendent of Police to forward the desire character certificate to the Registrar, Chhattisgarh Go-Seva Ayog within 20 days.

(2) If the Registrar, Chhattisgarh Go-Seva Ayog /Joint Director /Deputy Director is satisfied that the information furnished in the application and enclosed document are correct and if the character certificate issued by Superintendent of Police is proper, then the Registrar shall appoint the applicant as Agricultural Cattle Welfare Officer in Form -5 and shall also issue identity card and record all the particular in the register.

(3) The Agricultural Cattle Welfare Officer shall be appointed for the period of two years. The person appointed as Agricultural Cattle Welfare Officer shall have to submit work detail under Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006), of every six month in Form-6 to the Registrar, Chhattisgarh Go-Seva Ayog/Joint Director/Deputy Director. In case, if he does not submit said records for consequently two six months in the prescribed Form then his appointment as Agricultural Cattle Welfare Officer shall be cancelled by the Registrar, the Chhattisgarh Go-Seva Ayog /Joint Director/Deputy Director.

(4) Renewal of appointment as Agricultural Cattle Welfare Officer shall be done by the Registrar/Joint Registrar/Sub-Registrar for two years, after review of the information, produced in specified Form-6 by such person who is working as Agricultural Cattle Welfare Officer in accordance with the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006) as well as after re-verification of character certificate of Non-Government person by the Superintendent of Police, if is found satisfactory.

6. **Power of inspection and keep in custody under Section 13 of the Act.-** (1) The Agricultural Cattle Welfare Officer shall have the right to enter and inspect area within its local jurisdiction, where he has reasons to believe that any crime has been committed or is being committed or may be committed, and shall also have powers to take necessary action.

(2) Any Police Officer, who is not below the rank of Head Constable or any Competent Authority shall take the following actions in order to ensure the strict compliance of provisions of Section 4, 5 and 6 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006) or in order to satisfy himself that the above mentioned provisions are complied with, namely:-

(a) He shall be able to stop any vehicle, which is being used or is expected of being used for export of Agricultural cattle or its beef and shall also be able to enter and investigate it;

(b) Such Agricultural cattle, about which there is suspicion that any provision of Section 4, 5 and 6 is violated, is being violated or will be violated, shall seize along with the vehicle in which such Agricultural cattle or its beef was found or shall be able to authorize for its seizer and after this shall be able to make all the arrangements for producing its before the court and shall also ensure safe custody of thus acquired Agricultural cattle and vehicle till the pendency of the trial.

7. **Confiscation by the District Magistrate.-** The police is empowered to confiscate any vehicle, Agricultural cattle or its beef in case of any violation of Section 4,5 and 6 and the District Magistrate shall confiscate such vehicle, Agricultural cattle or its beef as per the provisions of Section 100 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) in following manner, namely: -

(a) He shall take possession of the vehicle;

(b) He may sent the Agricultural cattle or its beef into the custody of any organization or person registered with the Chhattisgarh Go-Seva Ayog; and

(c) The beef of Agricultural cattle shall be disposed of by the Pashudhan Vikas Vibhag in such manner as it deems fit.

8. **Revision before the Session Court against order of the District Magistrate.-** Any person aggrieved with the final order passed by the District Magistrate or any result of order, within thirty days of passing of such order may file an application for revision before such Sessions Court within whose jurisdiction, Office of the District Magistrate is situated.

Explanation.- The time requisite for obtaining certified copy of order of the District Magistrate shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-rule.

9. **Protection and maintenance of the Agricultural Cattle.-** (1) The acquired, usable, non usable, disabled, old or diseased Agricultural cattle shall be kept in any institution which is established under any law for the time being in force for the purpose of their protection, management, breeding, treatment and nutrition. Such institutions shall submit the detail monthly report of the acquired Agricultural cattle to the concerned court in Form-7.

(2) Expense for maintenance shall be payable in accordance with Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005.

10. **Aid and grant to the institution.- (1)** Such institution having more than one hundred acquired, usable, un-usable, disabled, old or diseased Agricultural cattle shall received aids / grants under various schemes of the State Governments / Central Government.

(2) Grants shall be given in accordance with clause (x-ee) of Section 44 of the Chattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

11. **Handing over of impounded Agricultural cattle.-** Such wandering Agricultural cattle, which are captured by employees of cattle pound and are not released or auctioned shall be handed over to the institution by the local authority.

12. **Levy of charges.-** The expenditure incurred in the maintenance and nourishing of Agricultural cattle by the institution shall be recovered from the owner of such Agricultural cattle in accordance with the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005.

13. **Economic Rehabilitation Scheme.-** (1) The Local Authority of the Municipal Corporations, Municipalities, Nagar Panchayats and Gram Panchayats shall prepare a list in Form-8 of such persons, who are partially or fully affected by the provisions of the Act and shall display it on the notice-board of their respective office for inviting objections. The objections, if any, received, shall be disposed of by Competent Authority. Thereafter, a final list of affected persons shall be prepared and the affected person shall be informed.

(2) The Local Officer of the local body shall send the final list to the Collector of the district.

(3) After receiving the final list from the local body, the Collector of the district shall get it scrutinized and after certifying it in Form-9, he shall recommend, on the basis of demands of affected persons, various self-employment schemes of concerned corporation, Board and/ or Department of the State Government and a copy of such list shall be endorsed to the local officer for co-ordination.

(4) Such Department, Corporation and/or Board after completing necessary formalities shall make the funds available to the affected persons, either directly or through banks.

(5) Monthly monitoring of economic rehabilitation of the affected person shall be done by the Collector, for which the local officer shall act as coordinator.

(6) After coming into force of these rules, the affected persons shall get benefit of this economic rehabilitation scheme only once.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. PANDEY Secretary.

FORM -1
(Part -I)
[See rule 3 (1)]

Application for Inter-State Agricultural Cattle Transportation license

To,

The Collector
District.....

Photo attested by the authorize d officer

I want to transport Agricultural Cattle* on foot / by vehicle Number..... in Chhattisgarh State .....path from (Name of Place) ..... Tehsil .....Block .....District ..... State to (Name of place) .....Tehsil.....Block ..... District .....State.

Please grant me Transportation License under sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014. My particulars are as given below:

1. Name .....
2. Father's name .....
3. Age .....
4. Sex .....
5. Caste .....
6. Profession .....
7. Present address .....
   Telephone No. .....
8. Permanent address .....
9. No of Agricultural cattle .....

S.No.	Kind of Agricultural cattle	Identity marks	Age	Species	Sex
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Enclose : (1) Demand draft of Rs. 5000/- from nationalized bank
(2) Two passport size photographs
(3) Copy of Voter Id /Aadhaar Card/ Job Card of MNREGA photocopy.

Place
Date

Signature of the applicant

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

FORM -1
(Part-II)
[See Rule 3 (3)]

Cattle Health Certificate

No. ..... Dated.....

Certified that the health of Agricultural Cattle* described below, which is owned by Shri..... father/husband ..... resident of .....village..... Tehsil..... district..... has been inspected by me, the said Agricultural Cattle is not aged or weak or disabled and is suffering/not suffering from any contagious/infection disease and has been found fit/unfit for transportation purpose.

Descriptions :-

S.No.	Kind of Agricultural cattle	Breed	Identification mark	Sex	Age	Health/ sick	Details of infection (If any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Note- Cattle Health Certificate shall be issued by the Government Veterinary Surgeon or registered veterinarian under State Veterinary Council.

(Signature and Seal)
Veterinary Assistant Surgeon
Government Veterinary Hospital
District .....

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

FORM -1
(Part -III)
[See rule 3 (6)]

Inspection report of Cattle Market

1. Place of Cattle Market .....

   Village /Nagar Panchayat /Block /District

2. Day of the cattle market .....

3. Number of cattle traders .....

   (A) Registered .....

   (B) Non registered .....

4. Estimated Number of Agricultural Cattle for sale /purchase in the market .....

5. Estimated number of Old , Weak and Disabled Agricultural

   Cattle for sale /purchase in the market .....

6. Whether compliance provision of Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 and the Prevention of Cruelty Act, 1960

   Yes /No ...

7. Name of cattle market contractor /Authorized person
   Address /telephone No. .....

Date

SIGNATURE

JOINT INSPECTION TEAM
NAME OF MEMBERS
MOBILE NO.....

FORM -2
[See rule 3 (4)]

INTER-STATE TRANSPORTATION LICENSE

Registration No ..... Date .....

1. Name .....
2. Father's name .....
3. Age .....
4. Sex .....
5. Caste .....
6. Profession .....
7. Present address .....
   Telephone Number .....
8. Permanent address .....
   Telephone Number .....
9. Type of Transportation (on foot or vehicle .....
   Vehicle No. .....
   Name of Driver .....
10. Transportation route in Chhattisgarh .....
11. Number of Agricultural Cattle* .....

It is certified that the details of the said persons are verified and this license is being issued for transportation of the Agricultural Cattle from/through the State of Chhattisgarh ..... to the State .....
This transportation license is valid till date .....

Place

COLLECTOR
DISTRICT

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION ACT, 2004

The Chhattisgarh State is first state of the country, where the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 has been enforced for complete prohibition against slaughtering of all cow generation and buffaloes generation like cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

- Section 4 of the Act prohibited slaughter of the Agricultural Cattle
- Section 5 of the Act prohibited keeping the beef of the Agricultural Cattle.
- Section 6 of the Act prohibited transportation of cow generation for slaughter and also provide for seizer of vehicle used for cattle transportation for six months and seizer of cattle transported.
- Violation of any of the provisions of Section 4, 5 and 6 of the Act is punishable with seven year imprisonment or with fine of Rs 50,000 /- or with both.
- Under Section 11 of the Act, burden of proof is on the accused in case of violation of any provisions of the Act.
- Under Section 12 of the Act, offence has been made cognizable and non-bailable.

THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960

Chapter 3 of this act prohibits cruelty towards animal. Section 11of the Act provides for punishment to those who violates any of the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 or abate such offence such as,-

- slaughter, exhaust due to run, physical harassment of animal
- working of the disease animal.
- feed hazardous drugs .
- relive infectious and disabled animal on road, etc.

FORM -3
(Part -I)
(See rule 4)

APPLICATION FOR REGISTRATION AS INTER-STATE AGRICULTURAL CATTLE TRADER :

To,

The Collector
District .....

Sub: Application for registration as Inter-State Agricultural Cattle* Trader

Sir,

I want to register as Inter-State Cattle Trader under rule 4 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014.
My details are as follows: -

1. Name .....
2. Father's Name .....
3. Caste .....
4. Profession .....
5. Present address .....
6. Permanent address .....
7. Telephone No. /Mobile No. .....

Above information provided by me are true, therefore your are requested to register me as Inter-State Agricultural Cattle Trader.

Encl. (1) Two passport size photographs
(2) Bank draft as registration fees
(3) Voter Id /Aadhaar Card/ Job Card of MNREGA photocopy

Place
Date

Signature of the applicant

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

FORM -3
(Part -II)
(See rule 4)

REGISTRATION CERTIFICATE FOR INTER-STATE AGRICULTURAL CATTLE TRADER

Registration No. ..... Date .....

This is to certify that Shri /Smt .....
Father /Husband..... Resident of Village/Town/.....
Tahsil/ Block .....District..... Chhattisgarh, Caste
..... Profession ..... is registered as Inter-State Agricultural Cattle* Trader for Inter-State sales /purchase of Agricultural Cattle, Which shall be valid till .....

The Collector
District

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes..

FORM -3
(Part -III)
(See rule 4)

Identity card of Inter-State Agricultural Cattle* Trader

Photo

Signature of the Trader

Shri/Smt/.....father/Husband..... Resident of Village/Town .....Tahsil /Block.....District.....is registered as Inter-State Agricultural Cattle Trader under Rules 4 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014 vide Registration No..... validity till date .....

Collector
District

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

FORM -4
(Part -I)
[See Rule 5(1)]

Application for Agricultural Cattle Welfare Officer

To,

The Registrar
Chhattisgarh Go-Seva Ayog
Raipur (C.G.)

Sub: Application for appointment to the post of Agricultural Cattle* Welfare Officer.

Sir,

I am willing to work as Agricultural Cattle Welfare Officer under the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014 and the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004) and to do work selflessly without any remuneration :-

My details are as follows:-

1. Name .....
2. Fathers Name .....
3. Date of birth .....
4. Profession .....
5. Present address with Mobile Number.....
6. Permanent Address with Mobile Number.....

Above information given my me are true and as proof copies of my Voter ID/ Aadhaar card/ Job Card of MNREGA are enclosed. If I am appointed as Agricultural Cattle Welfare Officer and Identity card is issued to me then I will not misuse Identity Card.

Signature

IDENTITY CERTIFICATE BY LOCAL INSTITUTION

Certified that Shri .....Son of .....caste..... age.....resident of (Village /ward)..... Tahsil/Block..... District ..... has interest in protection and conservation of the Agricultural cattle.

Signature with seal
President /Secretary
Local Goushala .....
Address .....

Signature with seal
Parshad/Sarpanch
Address .....
.....

* Agricultural Cattle means cow of all age, calves and infants of buffaloes, bull, bullocks, buffaloes.

FORM - 4
(Part-II)
[See rule 5(1)]
Affidavit of Agricultural Cattle Welfare Officer
(on 50/- Non judicial stamp paper)

AFFIDAVIT

I Shri /Smt .....Father /Husband .....Caste .....
Age .....resident of Village/Town..... Tehsil/Block.....
District.....Chhattisgarh solemnly affirm and state on oath that, if I am appointed as Agricultural Cattle Welfare Officer under Rule 5 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014 and for the purpose of clause (n) of Section 12 of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004) then I shall abide by the provisions of Section 6, 7, 13,16 and 17 of the Chhattisgarh Agricultural Preservation Act, 2004 and will perform duties with best of efforts and honesty and will not misuse my post.

Date
Place

Signature

Name .....
Father's name .....
Block .....
District .....

Signature and address of two witness

	Name of witness	Address	Signature
1			
2			

FORM-5
(See rule 5(2))

Identity Card of Agricultural Cattle Welfare Officer

Photo

Issue Date .....

Signature of
Agricultural Cattle Welfare Officer

Shri .....Father .....Resident of village /town.....Tehsil/block..... District..... Chhattisgarh is appointed as Agricultural Cattle Welfare Officer Number..... under Rule 5 of the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Rules, 2014 and for the purpose of clause (n) of Section 12 of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004). This identity card is valid up to .....

Registrar
Chhattisgarh Go-Seva Ayog Raipur

FORM -6
[See rule 5(3) and (4)]

REPORT SUBMITTTION BY AGRICULTURAL CATTLE WELFARE OFFICER

No	Date	FIR date in police station	Name of police station Block District	Number and kind of seized Cattle	Name of the Goshala receiving/ taking custody of seized Cattles/Name of the assignee	Date of Challan submitted in the court	Status of case in the court	Meeting with the Farmers for Awareness
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Signature
Agricultural Cattle Welfare Officer
Address
Village .....
Block .....
Tahsil .....
District .....
Mobile .....

FORM -7
[See rule 9(1)]

Report to be Submitted by the Institution in Court

S.No	Date of receiving of the seized Cattle in the custody of Goushala	FIR date in police station	Name of police station block/ district	Date of Challan submission in the court	Number and kind of the seized Cattle	Number of seized deceased Cattle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature

President
Goushala /Gou-sadan
Address .....
.....

FORM -9
[Rule 13(3)]

OFFICE OF THE COLLECTOR, DISTRICT ..... CHHATTISGARH

No ..... Date .....

To,

The Director,
Veterinary Services,
Indrawati Bhawan,
Naya Raipur (C.G.)

Sub: List of affected person under sub-rule (3) of rule 13 of the Chhattisgarh AgriculturalCattle Preservation Rules, 2014.

S.No	Name of affected person	Father's name	Caste	Address	Recommendation of Self-employment Scheme of Corporation/ Board/ State Government	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

It is certified that as per records above information is correct.

(Signature)
The Collector
District .....(Chhattisgarh)

Endt.
Copy to,-
Joint director / Deputy Director Veterinary, District..... (Chhattisgarh)

(Signature)
The Collector
District .....(Chhattisgarh)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.